न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–110/2024 विविध (235 आरटीए एक्ट)

विनोद पुत्र लिछमन जाति छींपा (छीपी) निवासी बड़विराना तह0 नोहर जिला हनुमानगढ (राज0)। ––प्रार्थी

बनाम

श्री पंकज गढवाल सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी नोहर (राज0), नोहर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरण।

उपस्थितः–1. श्री अमित गोदारा अधिवक्ता–प्रार्थी।
2. शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।

दिनांकः–12.03.2025

–:निर्णयः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का एक वाद सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर मे अनुवानी विनोद बनाम बावुराम आदि व इसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए अनवानी विनोद बनाम बाबुराम आदि प्रकरण संख्या 80/2004 विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश जारी है। अप्रार्थी बाबुराम वगैरा ऐलानिया कहते फिर रहे है कि पीठासीन अधिकारी श्री पंकज गढवाल से हमारी बात हो गई है। केस हमारे पक्ष मे ही होगा तथा प्रार्थी ने कई दफा अप्रार्थी को कुछ राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्तियों के साथ पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 के चौम्बर मे आते जाते देखा है तथा प्रतिवादीगण बाबुराम वगैरा स्थगन के बावजूद भी मौका पर निर्माण कर रहे है तथा प्लाट काट कर बेच रहे है तथा गोचर भूमि मे निर्माण करवा प्लाटो का कब्जा सुपुर्द कर रहे है तथा स्थगन के बावजूद भी तीन प्लाटो का बेचान कर चुके है। अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर हमारे कहने अनुसार ही निर्णय पारित करेगे। ऐसी सूरत मे अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी को न्याय मिलने व सही निर्णय होने की संभावना नही है यदि अप्रार्थीगण अपने इस अनुचित मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा न्याय से वंचित हो जावेगे। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी ए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय मे लम्बित प्रकरण बअनुवानी विनोद आदि बनाम बावुराम आदि प्रकरण संख्या 80 / 2004 अन्यत्र सम्बधित राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित फरमाया जावे। जिससे प्रार्थी को सही न्याय मिल सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सहा. कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर की तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी सं0 01 पंकज गढवाल व अन्य के सम्बध में चाही गई तथ्यात्मक रिपोर्ट / टिप्पणी इस प्रकार से है कि प्रार्थी विनोद पुत्र लिछमण जाति छीपा साकिन बडविराना के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद एव 212 आरटीएक्ट का स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी के अधिवक्ता को वाद / प्रार्थना पत्र पेश होने पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना जाकर दिनांक 01.05.2024 को रोही मोजा बडविराना के खाता संख्या 317/292 के खसरा न0 168 / 2 की 0.0130 है0 पर स्थगन आदेश जारी किया पत्रावली में आगामी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner

गये। प्राथी के द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल / स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य निराधार एव मंनगढत एव अपने प्रार्थना पत्र को रंगत देने के उदेश्य से अंकित किये गये है। उपखण्डाधिकारी पंकज गढ़वाल उभयपक्षों में से किसी भी पक्षकार को नही जानता है ना ही पहचानता है। इस प्रकार प्रार्थी का वाद / प्रार्थना पत्र अनवानी विनोद बनाम बाबुराम न्यायालय हाजा में विधिवत रूप से विचाराधीन है एवं वर्तमान में प्रकरण प्रतिवादीगण / गैरसायल के जबाब / तलबी हेतु विचाराधीन है। प्रकरण अभी प्राथमिक स्तर पर ही विचाराधीन है जिसमें इस न्यायालय के निर्देशो के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही की जानी बताया तथा प्रार्थी को विधि अनुकुल सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जा रहा है फिर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उपखण्डाधिकारी को किसी प्रकार को ऐतराज नही है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर हमारे कहने अनुसार ही निर्णय पारित करेगे। ऐसी सूरत मे अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी को न्याय मिलने व सही निर्णय होने की संभावना नही है यदि अप्रार्थीगण अपने इस अनुचित मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा न्याय से वंचित हो जावेगे। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी ए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय मे लम्बित प्रकरण बअनुवानी विनोद आदि बनाम बाबुराम आदि प्रकरण संख्या 80 / 2004 अन्यत्र सम्बधित राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित फरमाया जावे। जिससे प्रार्थी को सही न्याय मिल सके।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 पर जो आरोप लगाये गये है, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी, नोहर की टिप्पणी के अनुसार सब असत्य एवं मिथ्या है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। फिर भी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन **प्रार्थना पत्र 212 आरटीए अनवानी विनोद बनाम बाबुराम आदि प्रकरण संख्या 80/2004** को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व उपखण्ड अधिकारी नोहर के जवाब का अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाकर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के विरूद्ध पेश किया गया है जो खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नोहर को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रकिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी नोहर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनाक 12.03.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़ जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner